

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-01-09/2022(स्वा०) /पटना, दिनांक:-.....

डॉ० विनोद प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्राक-885/गो० दिनांक-07.04.2022 द्वारा श्री कुँवर रोहित सिंह उर्फ बब्लु सिंह, पिता-स्व० विजय सिंह, ग्रा०-किलागढ, पो०-थाना-जगदीशपुर, भोजपुर का दिनांक-28.03.2022 को मार-पीट के उपरान्त अस्पताल में आने पर समुचित चिकित्सीय उपचार नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. डॉ० सिंह को विभागीय अधिसूचना सं०-172(9) दिनांक-12.04.2022 द्वारा निलंबित करते हुए निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार निर्धारित किया गया।

3. डॉ० सिंह द्वारा निलंबनादेश के विरुद्ध अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि श्री कुँवर रोहित सिंह को दिनांक-28.03.2022 की रात्रि में कर्त्तव्य पर उपस्थित चिकित्सक डॉ० दयानन्द सिंह द्वारा ईलाज किया गया था। संस्थान में कार्यरत कम्पाउण्डर एव जेनरेटर संचालक द्वारा डॉ० सिंह के माता जी को दूरभाष पर सूचना दिया गया। स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना दी गयी थी।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० सिंह के अभ्यावेदन को युक्तियुक्त पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-583(9) दिनांक 21.07.2022 द्वारा उन्हें निलंबनगुक्त करते हुए रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर में योगदान करने का निदेश दिया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० सिंह के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि दिनांक-28.03.2022 को कर्त्तव्य पर उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी एवं ए०एन०एन० द्वारा गरीज को चिकित्सीय उपचार किया गया था। फलतः डॉ० सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक-12.04.2022 से 21.07.2022) की अवधि हेतु जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डॉ० विनोद प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर के निलंबन अवधि (दिनांक-12.04.2022 से 21.07.2022) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-01-09/2022(स्वा०) 678(9) / पटना, दिनांक:-19.6.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले०एव ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, भोजपुर /बक्सर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-डॉ० विनोद प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर संप्रति कार्यालय जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2025

15

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ **प्रतिलिपि**—आईटी0 मैनेजर, रवा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अमे
19/06/2025
सरकार के अवर सचिव।